न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 48/2020, जी.सी.एम.एस. नं. 2020/00067

1. बुन्दू बेग 2. रहीस बेग 3. पप्पू बेग 4. मुफीद बेग	पिसरान नसीफ बेग उर्फ सुस्सी बेग	समस्त जाति मुसलमान, निवासी मकबरा, तहसील, टोडाभीम, जिला करौली, राज0।
5. अकीला उर्फ मोटा पत्नी बाबू बेग		
6. इकबाल 7. अफजल 8. सरफराज 9. जाकिर	पिसरान बाबू बेग	

10. जीनत उर्फ चन्दो पुत्री बाबू बेग पत्नी रेहान जाति मुसलमान, निवासी मकबरा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली, राज0।

11. चमन पुत्री बाबू बेग पत्नी शानू जाति मुसलमान, निवासी काजी कॉलोनी गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राज0।

अपी0

बनाम

1. महफूज बेग पुत्र हनीफ बेग		समस्त जाती मुसलमान, निवासी वार्ड नं0 3 टोडाभीम, जिला करौली, राज0
2. शफीक बेग पुत्र कल्लू		
3. अजीज बेग 4. रसीद बेग 5. सलीम बेग	पिसरान लतीफ बेग	
6. आमना पुत्री लतीफ बेग		
7. अफसाना पुत्री अतीक बेग		
8. शब्बीर बेग 9. रफीक बेग	पिसरान हब्बी बेग	

10. तहसीलदार (सबरजिस्ट्रार) टोडाभीम जिला करौली, राज0।

रेस्पों0

(अपील विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिग्री सहायक जिला कलेक्टर, टोडाभीम मु0न0 119/2016 निर्णय व डिग्री दिनांक 19.02.2020)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांक 30.09.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 119/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2020 उनवानी महफूज वगै बनाम अजीज बेग वगै0 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पों0 ने दावा बावत् तकास्मा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी ख.नं. 57 रकबा 02 ऐयर, ख.नं. 58 रकबा 44 ऐयर, ख.नं. 59 रकबा 13 ऐयर, ख.नं. 60/196 रकबा 05 ऐयर, ख.नं. 61 रकबा 05 ऐयर, ख.नं. 158 रकबा 24 ऐयर, ख.नं. 159 रकबा 14 ऐयर, ख.नं. 160 रकबा 19 ऐयर कुल किता 08 कुल रकबा 1.26 है0 स्थित ग्राम मकबरा, तह0 टोडाभीम है। जिसमें वादी नं. 1 व वादी नं. 2 के पति कल्लू तथा उनकी माँ बुन्दों जो फौत हो चुकी है, का 1/4 हिस्से की हाल रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। मृतक बिन्दों के काय़म मुकाम वारिसान वादीगण है, जो मृतक बिन्दों के तर्के पर काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादी नं. 5 खातेदार अतीक बेग की पत्नि हैं जो मृतक अतीक बेग के तर्क पर काबिज है तथा प्रविताादी नं. 8 ल0 11 खातेदार नसीफ बेग उर्फ सुस्सी बेग के जायज एवं कायम मुकाम वारिसान हैं जो मृतक नसीफ बेग के तर्क पर काबिज चले आ रहे है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी सं. 6 ल0 7 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 8 ल0 11 का 1/4 हिस्सा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हाल जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त विवादित आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 ल0 11 ने मौके पर मुताबिक हिस्सा बहमी बॅटवारा कर रखा है लेकिन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त विवादित आराजीयात के सम्बंध में विधिवत रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने के कारण डोल मेढ को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। दिनांक 15.09.2016 को वादीगण ने प्रतिवादीगण सं. 01 ल0 11 से उक्त विवादित आराजीयात के हाल रिकार्ड में मुताबिक कब्जा व हिस्सा तहसील टोडाभीम में चलकर बंटवारा कराने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण सं. 01 ल0 11 ने बंटवारा कराने से साफ इंकार कर दिया तथा प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि हम बिना बंटवारा कराये ही उक्त जमीन को रहनवय कर देगें और वादीगण को अपने कब्जे की आराजी से बेदखल करने की धमकी दी। इसलिये दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण [illegible] सा उक्त आराजीयात में वादीगण के 1/4 हिस्से के [illegible] डिक्री फरमायी जाकर मुताबिक कब्जा व मु[illegible] तहसीलदार टोडाभीम से तलब की जाकर वाद जाँच रिपोर्ट कमिश्न[illegible]ाइनल डिक्री फरमायी जाकर अलग-अलग खातेदारी व सरकारी लगान कायम कर समस्त राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावें। अतः दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इस आशय से डिक्री किया जावें कि प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजीयात में वादीगण के 1/4 हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें तथा उक्त आराजीयात को रहनवय न करें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पों0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पों0 का दावा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपी0 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2020 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून रूहेदाद मिसिल है और विधि विरूद्ध है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर बिना कोई अपीलांट नं. 1 ल0 4 द्वारा प्रस्तुत जबाब दावे पर गौर किए एवं बिना कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर किए मात्र इस आधार पर यह निर्णय व डिक्री जेरे अपील पारित किया है कि उभयपक्षकारान द्वारा सहमती दी गई है, जबकि अपी0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री बाबत् कोई सहमति दर्ज नहीं करायी है, और ना ही पत्रावली पर ऐसी किसी सहमति बाबत् अपी0 के हस्ताक्षर है। अपी0 सं. 1 ल0 4 व रेस्पों0 सं. 3 ल0 7 व 9 द्वारा अपने जबाब दावे में मय काउण्टर क्लेम में यह तथ्य बखूबी दर्ज किया है कि रेस्पों0 सं. 1 व 2 के पूर्वज हनीफ बेग के रेस्पों0 नं. 1 व 2 के अलावा भी लाली महफूजा व गुडिया उर्फ शफीका भी वारिसान है जो उसके तर्के पर काबिज है, रेस्पों0 नं. 1 उनके हिस्से को हडपना चाहते है, इसलिए उनको आवश्यक पक्षकार होने के बाबजूद भी दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि उक्त व्यक्ति भी मृतक हनीफ के तर्के पर काबिज है एवं मृतक बाबू बेग पुत्र नसीफ उर्फ सुस्सी बेग के वारिसान अपी0 नं. 5 ल0 11 जो उक्त नसीफ बेग उर्फ सुस्सी बेग के पोते पोतियों व पुत्रवधु होने के कारण उसके जायज कायम मुकाम कानूनी वारिसान है एवं अपने पिता बाबू बेग के हिस्से की आराजी पर काबिज एवं दखील है, जो उक्त वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने के बाबजूद भी उन्हें बदयांती पूर्वक पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर तनकी नं. 3 व 4 कायम की [illegible] ना ही तो अपने निर्णय में डिस्कस किया है और ना ही [illegible] निर्णय पारित किया है। अपी0 नं. 1 ल0 4 व रेस्पों. नं. 3 ल0 7 व 9 ने अपने जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम में यह तथ्य भी बखूबी दर्ज कर मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित किया है कि हनीफ बेग, लतीफ बेग, हब्बी बेग एवं नसीफ उर्फ सुस्सी बेग चारो सगे भाई थे जिनके तर्को पर उनके वारिसान काबिज एवं दखील है हनीफ बेग, लतीफ बेग ने अपने हिस्से की भूमि को साबिर अली को जरिये रजिस्ट्री गॉव मकबरा की संयुक्त खातेदारी

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की भूमि विक्रय कर दी थी तथा उक्त रजिस्ट्री में चारो भाईयों ने हस्ताक्षर किए थे लेकिन विक्रय राशि केवल हनीफ बेग द्वारा ली गई थी तथा उक्त सम्पत्ति के बदले में भूमि ख.नं. 61, 57, 58 नसीफ बेग उर्फ सुस्सी बेग को अलग से दे दी गई जिस पर उसके वारिसान काबिज एवं दखील है, इसी प्रकार भूमि ख.नं. 59 को मृतक हब्बी बेग को अलग से दे दी गई, जिस पर उसके वारिसान काबिज एवं दखील है एवं भूमि ख. नं. 60/196, 158, 159, 160 जो आबादी की आराजी है, जिसके हिस्सेदार रेस्पों. नं. 1 व 2 एवं लाली महफूजा एवं गुडिया उर्फ शफीका को 14 ऐयर भूमि एवं रेस्पों. नं. 3 ल0 7 को 14 ऐयर भूमि एवं अपी0 नं. 1 ल0 11 को 14 ऐयर भूमि का बराबर–बराबर मौके पर बंटवारा कर रखा है। उक्त भूमि में सभी खातेदारों ने मिलकर योजना बनाकर प्लॉट काट दिये है, जिसमें रेस्पों. नं. 1 ने एक प्लॉट सुरेन्द्र कुमार जॉगिड पुत्र रामबाबू जॉगिड उर्फ बाबूद्दीन खॉं को दिनांक 24.10.2016 को जरिये इकरारनामा/विक्रयनामा विक्रय कर दिया। जिस पर मकान निर्माण कर उसका परिवार निवास कर रहा है। एवं दीगर व्यक्तियों को भी उक्त भूमि में प्लॉट विक्रय किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर तनकी नं. 5 कायम की थी लेकिन उक्त तनकी को अधिनस्थ न्यायालय ने ना ही तो अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री जेरे अपील में डिस्कस ही किया है ना ही उक्त तनकी पर अपना कोई मत व्यक्त कर निर्णय ही पारित किया है, इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पृथम दृष्ट्या ही औपचारिक प्रतीत होती है जो कानून की घोर अवहेलना है। अपी0 नं. 5 ल0 11 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री जेरे अपील का सर्वप्रथम इल्म दिनांक 17.03.2020 को पटवारी हल्का के मौक पर बंटवारा स्कीम तैयार करने हेतु पहुँचने पर हुआ है। इससे पूर्व अपी0 नं. 5 ल0 11 को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं पायी है। इल्म होते ही दिनांक 18.03.2020 को नकल प्राप्त की। इससे पूर्व अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। अपी0 द्वारा अपील पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। इस प्रकार उक्त निर्णय का ज्ञान अपीलार्थी को हो सका। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

4. रेस्पों. के विद्वान अधिवक्ता ने अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आराजी ख.नं. 57 रकबा 02 ऐयर, ख.नं. 58 रकबा 44 ऐयर, ख.नं. 59 रकबा 13 ऐयर, ख.नं. 60/196 रकबा 05 ऐयर, ख.नं. 61 रकबा [illegible] ऐयर, ख.नं. 158 रकबा 24 ऐयर, ख.नं. 159 रकबा 14 ऐयर, ख.नं. 160 रकबा 19 ऐयर [illegible]कता 08 कुल रकबा 1.26 है0 स्थित ग्राम मकबरा, तह0 टोडाभीम है। जिसमें रेस्पों. नं. 1 व रेस्पों. नं. 2 के पति कल्लू तथा उनकी मॉं बुन्दों जो फौत हो चुकी है, का 1/4 हिस्से की हाल रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। मृतक बिन्दों के कायम मुकाम वारिसान वादीगण है, जो मृतक बिन्दों के तर्के पर काबिज चले आ रहे है। रेस्पों. नं. 7 खातेदार अतीक बेग की पत्नि हैं जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मृतक अतीक बेग के तर्क पर काबिज है तथा अपी0 नं. 1 ल0 4 खातेदार नसीफ बेग उर्फ सुस्सी बेग के जायज एवं कायम मुकाम वारिसान हैं जो मृतक नसीफ बेग के तर्क पर काबिज चले आ रहे है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी में रेस्पों. सं. 8 ल0 9 का 1/4 हिस्सा, अपी0 सं. 1 ल0 4 का 1/4 हिस्सा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हाल जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त विवादित आराजीयात का अपी0 एवं रेस्पों. ने मौके पर मुताबिक हिस्सा बहमी बँटवारा कर रखा है लेकिन अपी0 एवं रेस्पों. के मध्य उक्त विवादित आराजीयात के सम्बंध में विधिवत रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने के कारण डोल मेढ को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। दिनांक 15.09.2016 को रेस्पों. ने अपी0 से उक्त विवादित आराजीयात के हाल रिकार्ड में मुताबिक कब्जा व हिस्सा तहसील टोडाभीम में चलकर बंटवारा कराने के लिये कहा तो अपी0 ने बंटवारा कराने से साफ इंकार कर दिया तथा धमकी दी कि हम बिना बंटवारा कराये ही उक्त जमीन को रहनामा कर देंगे और रेस्पों. को अपने कब्जे की आराजी से बेदखल करने की धमकी दी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। परिसीमन अधिनियम की धारा–5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावे। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. अपी0 द्वारा अपील मीमों में के बिन्दु सं. 2 में कथन किया है कि "माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री बाबत् किसी प्रकार की सहमति दर्ज नहीं करायी है और ना ही पत्रावली पर ऐसी किसी सहमति बाबत् अपी0 के हस्ताक्षर है"। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.02.2020 में अभिलिखित किया है कि वकील उभयपक्ष ने जमाबंदी में हिस्सानुसार दावा प्राथमिक डिक्री करने का कथन कर सहमति दर्ज कराई है। पत्रावली में [illegible] हेतु पक्षकार [illegible]न्धित अभिभाषकगणों के हस्ताक्षर नहीं है। अपील मीमों के बिन्दु सं. 3 [illegible] वारिसान बाबत् व नसीफ बेग के अन्य वारिसान [illegible] बाबत कथन कि[illegible] न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2017 को तनकीमान [illegible] है इनमें तनकी सं. 3 व 4 पक्षकार नहीं बनाने बाबत् विरचित की गयी है। पक्षकार संयोजित करने के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय को विधि अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए थी, परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे पक्षकार संयोजित करने बाबत्

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर
30.9.21

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कार्यवाही किया जाना स्पष्ट होता है। उक्त विवेचन के प्रकाश में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक त्रुटि युक्त है इसलिए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के मु0नं0 119/2016, निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2020 को अपास्त किये जाते है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नियमानुसार संयोजित कर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि संगत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम के यहां दिनांक 28.10.2021 को उपस्थित होवे।

9. निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

30.9.21

(बी0 एल0 रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner